तत्काल

संख्या- 1/2018/37/90- सं0शि0प0का0-18-01 सं0शि0/2015

प्रेषक,

कौशेलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2018**

विषय: मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्र संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक 28-09-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्षों/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र संख्या-1117/90-सं-2015-70सं/1984, दिनांक 15-10-2015 द्वारा मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों के पत्रों को दर्ज किया जाये एवं समय से इसकी पावती भेजी जाये और कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

-2/-

shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में शासन स्तर से समय-समय पर मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही के प्रभावी अनुश्रवण हेतु **निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक सूचना** समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। शासन के पत्र दिनांक 06-01-2016, 23-02-2016, 26-04-2016, 06-07-2016, 10-08-2016, 28 नवम्बर, 2016, 27 जनवरी, 2017, 21 अप्रैल, 2017, एवं 27 जुलाई, 2017, एवं 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनुस्मरण कराये जाने के उपरान्त भी अभी तक नोडल अधिकारी नामित किये जाने और मा0 सांसद/विधानमण्डल के सदस्यगण से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही विषयक सूचनायें निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध रूप से संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को प्राप्त नहीं हो रही है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4- **सूच्य है कि उक्त संकलित त्रैमासिक सूचनाओं के सम्बन्ध में मा0 संसदीय अध्ययन समिति द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श एवं साक्ष्य हेतु बैठक आयोजित की जाती हैं।**

5- उल्लेखनीय है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु प्राप्त कतिपय सूचनाओं के कालम-6 पर मा0 सांसद/मा0 विधायक को कृत कार्यवाही से अवगत कराने के सम्बन्ध में यह अंकित किया जाता है कि मा0 सांसद/मा0 विधायक ने अपने पत्र में कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा नही की है जो शासन स्तर से समय-समय पर जारी आदेशों संसदीय शिष्टाचार के विपरीत है। साथ ही कृपया "नामित नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सूचनाओं की समीक्षा करने के उपरान्त" ही शासन को निर्धारित प्रारूप-2 में उपर्युक्त सूचना उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में क्रमश: शासन के पत्र दिनांक 21-04-2015 एवं पत्र दिनांक 20-05-2015 पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है।

अत: आपसे निम्नानुसार अनुरोध है :-

(क) उपर्यक्तानुसार अवगत होकर कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर से पूर्व में समय-समय पर निर्गत पत्रों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अपने स्तर से नोडल अधिकारी अविलम्ब नामित कर उसकी अघतन सूचना संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को निर्धारित प्रपत्र-1 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 के प्रथम त्रैमास (01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017) एवं द्वितीय त्रैमास (1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017) तथा तृतीय त्रैमास (1 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017) एवं चतुर्थ त्रैमास (01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017) तक की चारों त्रैमासों की वांछित सूचना त्रैमासवार संकलित कर "नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर समीक्षा करने के उपरान्त" संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को निर्धारित प्रपत्र-2 में कृपया उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक: यथोपरि: (04)

कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

<u>प्रपत्र-1</u>

मा0 सांसद एवं विधान-मण्डल के सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही किये जाने का अनुश्रवण करने हेतु नामित नोडल अधिकारी से संबंधित सूचना :-

क्रमांक	विभाग/विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/जनपद का नाम	नामित नोडल अधिकारी		
1	**2**	**3**		
		नाम	**पदनाम**	**मोबाइल नं0/ दूरभाष नं0**

<u>विशेष :-</u>

शासन के पत्र संख्या-1117/90-सं-1-2015-70सं0-1984, दिनांक 15-10-2015 एवं उसके क्रम में जारी पत्रों के अनुसार कम से कम संयुक्त सिचव/संयुक्त निदेशक/उप जिलाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करना अपेक्षित है।

shasnadesh.up.nic.in

प्रपत्र-2

मा0 सांसद एवं विधान-मण्डल के सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी एवं निश्चित कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण करने विषयक सूचना :-

क्रम सख्या	मा0 सांसद/विधान मण्डल सदस्य का नाम	पत्र प्राप्त होने का तिथि	पत्र का विषय	कृत कार्यवाही का विवरण	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराने की तिथि	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने का कारण*
1	2	3	4	5	6	7

*__विशेष :-__

शासन के पत्र संख्या-553/90-सं0शि0प0का0-17-1सं0शि0/2015दिनांक 31-10-2015 का प्रस्तर-4 का अवलोकन प्रश्नगत प्रपत्र कालम-7 के संबंध में अपेक्षित है।

shasnadesh.up.nic.in